बांधवगढ़ टाइगर रजिर्व

चर्चा में क्यों?

भोपाल स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) **सेंट्रल जोन बेंच** ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बांधवगढ़ टाइगर रज़िर्व के कोर क्षेत्र में वार्षिक दर्शन यात्रा (बांधवगढ़ किले तक) की अनुमति देने के लिये राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई है।

- कोर क्षेत्र किसी संरक्षित क्षेत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है जहाँ जैवविविधता और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिये मानवीय गतिविधियाँ आमतौर पर प्रतिबंधित होती हैं।

मुख्य बिंदु

- **मुद्दे के बारे में:**
  - एक **हरित कार्यकर्त्ता** ने बांधवगढ़ टाइगर रज़िर्व की **जैवविविधता** पर बड़े पैमाने पर तीर्थयात्राओं के नकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें बाँस की कटाई, अस्वास्थ्यकर शिविर, नदी प्रदूषण और वन्यजीवों का विघटन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया, जो सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972), वन संरक्षण अधिनियम (1980) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) का उल्लंघन करते हैं।
- **सिफारिशें:**
  - मध्य प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर यात्राओं को विनियमित करने के लिये एक **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन्यजीवों को न्यूनतम व्यवधान हो और अंतरिम अवधि में **2012 प्रोजेक्ट टाइगर** दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
  - भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून द्वारा किये गए वहन क्षमता अध्ययन का हवाला देते हुए, NGT ने दर्ज किया कि हालांकि यह क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से 7,000-8,000 तीर्थ यात्रियों को समायोजित कर सकता है, लेकिन बाघों, हाथियों और अन्य बड़े जानवरों की उपस्थिति के कारण सुरक्षित क्षमता केवल 4,000-5,000 आगंतुकों तक ही सीमित है।
  - WII ने केवल वाहनों के माध्यम से प्रवेश, एक महीने पहले ऑनलाइन पंजीकरण और बेहतर भीड़ नियंत्रण की सिफारिश की।

बांधवगढ़ टाइगर रज़िर्व

- यह मध्य प्रदेश की **विंध्य** और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है।
- इस पार्क में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, **पनपथा वन्यजीव अभयारण्य** (कोर क्षेत्र) और आसपास का बफर क्षेत्र शामिल है, जो **उमरिया**, **शहडोल** और **कतनी** ज़िलों में फैला हुआ है।
- **राजसी वन्यजीवन:** यह स्थान रॉयल बंगाल टाइगर के साथ-साथ तेंदुए, जंगली कुत्ते और गौर जैसे अन्य वन्यजीवों के आवास के लिये प्रसिद्ध है।
- **विविध आवास:** इस रज़िर्व में घने जंगल, बाँस की वनस्पति, विशाल घास के मैदान और **बारहमासी धाराएँ** हैं, जो विभिन्न प्रजातियों, विशेष रूप से एकाकी बाघ के लिये समृद्ध वातावरण प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- **मुख्यालय: नई दिल्ली (मुख्यालय),** भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bandhavgarh-tiger-reserve-5